**भारत सरकार**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या : *294**
**उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025**

**एमएसएमई का सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान**

***294. श्री लुम्बाराम चौधरी:**
**श्रीमती कमलेश जांगड़े:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों का हिस्सा कितना है और वर्ष 2004 से 2010 की अवधि की तुलना में विगत दस वर्षों के दौरान इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) वर्तमान में निर्यात किए जा रहे एमएसएमई उत्पादों की विशेषकर छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने भविष्य में उक्त उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश में एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**
**(श्री जीतन राम मांझी)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 294, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>**

(क): राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, एनएसओ, एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान परिभाषा के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए)/सकल मूल्य उत्पाद (जीवीओ) का संग्रहण नहीं करता है। तथापि, यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एमएसएमई की पुरानी परिभाषा के अनुसार, आधार वर्ष वित्त वर्ष 2011-12 के साथ सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान श्रृंखला के लिए एमएसएमई क्षेत्र के जीवीए/जीवीओ का अनुमान लगाने के लिए संगठित जीवीए/जीवीओ पर उपयुक्त अनुपात लागू किए गए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के दौरान अखिल भारतीय जीडीपी में एमएसएमई जीवीए का योगदान निम्नानुसार है:

| वर्ष | अखिल भारतीय जीडीपी में एमएसएमई जीवीए का योगदान (% में) |
|---|---|
| 2014-15 | 29.72 |
| 2015-16 | 29.48 |
| 2016-17 | 29.25 |
| 2017-18 | 29.69 |
| 2018-19 | 30.50 |
| 2019-20 | 30.48 |
| 2020-21 | 27.27 |
| 2021-22 | 29.64 |
| 2022-23 | 30.25 |
| 2023-24 | 29.60 |

जैसाकि एनएडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2004-10 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के डाटा डिस्सेमिनेशन पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसएमई विशिष्ट उत्पादों का निर्यात मूल्य 199,718.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। एमएसएमई द्वारा निर्यात के लिए राज्य-वार डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) : एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात को बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसके तहत विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की सुविधा/सहभागिता और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उपक्रम आदि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आईसी स्कीम के प्रथम बार के निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) संबंधी घटक के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के नए निर्यातकों को ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात हेतु परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आईसी स्कीम के तहत इन इंटरवेंशनों में एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को बढ़ाने में सहायता प्रदान की जाती है। एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को आवश्यक सलाहकार सेवाएं तथा हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ पूरे देश में 65 निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) स्थापित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी प्रमुख पहलों में निर्यात प्रोत्साहनों का प्रावधान, व्यापार प्रोत्साहन समारोह का आयोजन, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बाजार तक पहुंच का विस्तार करने के लिए मुक्त बाजार समझौते (एफटीए) की वार्ताएं शामिल हैं। कमोडिटी बोर्डों और प्राधिकरणों, निर्यात संवर्धन परिषदों, भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक विंग तथा अन्य प्रासंगिक निकायों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन के साथ निर्यात के कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति को भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने, व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करने और देश को एक भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(घ): सरकार ने देश में एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।
ii. महिला उद्यमियों को लाभ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था, जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को उनकी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% खरीद महिला उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य किया गया है।
iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत महिला उद्यमियों को सहायता के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की रियायत; और 90% तक के लिए 10% की अतिरिक्त गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है।
iv. महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का कार्यान्वयन करता है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल उन्नयन के उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
v. एमएसएमई मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है, जो पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। स्कीम के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की दर, शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमांत प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी है।
vi. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता के संबंध में अन्य उद्यमियों के लिए 80% सब्सिडी की तुलना में महिला उद्यमियों को 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
vii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्विनी अभियान' की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य इन स्कीमों के बारे में जागरुकता सृजन करने के माध्यम से औपचारिकीकरण, वित्त तक पहुंच, क्षमता निर्माण और मेंटरशीप पर विभिन्न स्कीमों के माध्यम से पूरे भारत में महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण करना है।

******